फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती केसर बनाम गुलाब गायरी (वगैरा)

रस्म मुकदमा प्रा०प० 111-128 नं० 190 सन 2022

क[illegible]	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
12/6/22	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 17-1-23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल	
17/1/23	[illegible] पक्ष [illegible] अधिकारी [illegible] पर है / पदस्थित [illegible] कार्य से [illegible] अतः पत्रावली दि० 24-1-23 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
24/1/23	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन के बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा० प० किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार रुक-रुक कर आवाजें दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुए, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थी का प्रार्थना पर स्वीकार [illegible] जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली ~~पेश~~ फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 14:05:06 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायायल उपखण्ड अधिकारी, माण्ड़ल जिला भीलवाड़ा (राज0)

नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिकारी– नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या– 190/22 प्रा०पत्र

श्री केसार पि०कालू भैरवा निवासी- गोपपुरा तहसील-मांडल (बगैरा)

–प्रार्थी

बनाम

लाल s/o चुन्ना गाडरी निवासी- गोपपुरा तहसील मांडल [बगैरा] (संलग्नित प्रा०पत्र संलग्न)

--विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :– 24-01-23

::आदेश::

से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन ग्राम भोजपुरा पटवार हल्का रहूका तहसील माण्डल में उसके खाते की आराजी नं. 41 कुल किता 01 रकबा 0.4806 हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये बंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की आदेश प्रदान कराये जावें।

पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.12.22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को यह बात सिद्ध हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते ते न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

ना पत्र धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम भोजपुरा पटवार ...तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. 41 ... 01 रकबा 0.4806 हेक्टयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख ...यास को 500/- रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 14:05:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल माण्डल भीलवाड़ा

गिरदावर/तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार कर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा